

राहत आयुक्त कार्यालय

उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या: 703 / रा0आ0का0 / 2019-20

लखनऊ: दिनांक: 13 जनवरी, 2020

कार्यालय ज्ञाप

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा-5(1) सपटित धारा-2 के खण्ड (ड) एवं मुख्य सचिव, प्रशासनिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-2/2015/445/43-2-2014-15/2 (2)/14 टी0सी0 मार्च, 2015 के अन्तर्गत राजस्व विभाग के सभी कार्यालयों में पदेन जन सूचना अधिकारी नामित करने के निर्देश दिये गये हैं। तत्कम में वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, राहत आयुक्त कार्यालय, को इस कार्यालय का जन-सूचना अधिकारी नामित किया जाता है।

2- सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत जन-सूचना अधिकारी के रूप में वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी को आवेदकों द्वारा मांगी गई सूचना का उत्तर देने या किसी अन्य विभाग या अनुभाग को प्रार्थनापत्र का अन्तरण अशासकीय पत्र के माध्यम से किया जायेगा।

3- सूचना का अधिकार से सम्बन्धित कार्य हेतु वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी/जनसूचना अधिकारी को कोई अतिरिक्त भत्ता देय नहीं होगा। यह कार्य दैनिक कार्य के अन्तर्गत होगा।

4- इस आदेश के जारी होने के दिनांक को राहत आयुक्त कार्यालय से सम्बन्धित जनसूचना अधिकारी का विवरण निम्नवत् है।

क्रम सं०	कार्यालय का नाम	जनसूचना अधिकारी का नाम एवं फोन नं०
1.	राहत आयुक्त कार्यालय, उ० प्र०	श्री उमेश कुमार उपाध्याय, वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी। फोन नं० 0522-2235083, 2235021 मो० नं०-9628008515

आज्ञा से,



(संजय गोयल)


राहत आयुक्त,

उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- 1- सचिव, राज्य सूचना आयोग, उ०प्र० ~~इन्दिरा भवन~~, लखनऊ।
- 2- निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, राजस्व विभाग, उ०प्र० शासन।
- 3- अनुभाग अधिकारी, राजस्व अनुभाग-10 एवं 11।
- 4- गार्ड फाइल।


13.01.2020

(शैलेन्दु नाथ मिश्र)

प्रशासनिक अधिकारी,

राहत आयुक्त कार्यालय।